न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 5/2015/अपील

1. दुर्गादेवी पुत्री मन्ना उर्फ माना जाति खटीक निवासिनी ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलांट

ब ना म

1. सीताराम
2. श्रीकिशन
3. ओमप्रकाश

} पुत्रगण मन्ना उर्फ माना

4. लीलादेवी बेवा मालचन्द

समस्त जाति खटीक निवासीगण ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5. ग्राम पंचायत खूड़ जरियेः सरपंच ग्राम पंचायत खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 166 दिनांकित 14.02.1999 द्वारा ग्राम पंचायत खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील अपीलांट की ओर से।

निर्णय **दिनांक— 01.10.2019**

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खूड़ पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 1191 रकबा 0.55 हैक्टर में सें हिस्सा 1/2 व भूमि खसरा नम्बर 1596 रकबा 0.70 हैक्टर सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़
सीकर

Scanned by CamScanner

अवस्थित रही है जिसकी खातेदारी पूर्व में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पूर्वज मन्ना उर्फ माना के नाम सें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त मन्ना उर्फ माना का स्वर्गवास दिनांक 17.04.1993 को हो चुका है एवं उनकी विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 14.02.1999 को ग्राम पंचायत खूड़ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम सें भरा गया। मन्ना उर्फ माना की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही यानि दिनांक 19.09.1992 को मन्ना के पुत्र मालचन्द का भी स्वर्गवास हो जाने सें विरासत के तौर पर उसकी बेवा लीलादेवी के नाम से नामांतकरण भरा गया है। रेस्पोडेन्ट के नाम सें विरासत का नामांतकरण भरे जाने के बाद मन्ना उर्फ माना की बेवा जड़ाव देवी का भी दिनांक 28.04.2002 को स्वर्गवास हो चूका है जिसके वारिस अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता चार ही है। उक्त वर्णित आरजियात खसरा नम्बर 1191 रकबा 0.55 हैक्टर में से मृतक मन्ना उर्फ माना का हिस्सा 1/2 था तथा खसरा नम्बर नये 1596 सम्पूर्ण की खातेदारी मन्ना उर्फ माना पूत्र श्योबक्सा की बराबर की उतराधिकारीणी है। एवं उसी अनूसार नामान्तकरण भरा जाकर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित था परन्तु ग्राम पंचायत खूड ने कतई गलत रूप से अपीलांट का हिस्सा उक्त वर्णित आराजियात में दर्ज नही किया और सिर्फ रेस्पोडेन्ट संख्या एक लगायत 4 का हिस्सा उक्त वर्णित आराजियात में दर्शाते हुए उपरोक्त वर्णित अपीलाधीन नामन्तकरण तस्दीक कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही कतई गलत व प्रभावहीन एंव निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत खूड ने नामान्तकरण संख्या 166/196 दिनांक 14.02.1999 को भरते समय मृतक खातेदार के सभी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान को मध्यनजर रखते हुए नामान्तकरण नही भरा एंव प्राथीया/अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर प्राथीया को उसके पैत्रिक हक व हिस्से की कृषि आराजियात से वंचित रखा है इसलिए अपीलाधीन नामन्तकरण खारिज होने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण बाबत् आज तक प्राथीया/अपीलांट को जानकारी नही हो पाई।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़
सीकर

Scanned by CamScanner

अपीलांट अपने पैत्रिक हक व हिस्से की कृषि सम्पदा पर सदैव से ही निर्बाध रूप से काबिज काश्त चली हो रही है। आज से करीब बीस रोज पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या एक लगायत चार ने प्रार्थीया/अपीलांट को उसके हिस्से से बेदखल करने व बेचान करने की धमकी दी व ऐलानियॉ काह कि यह जमीन तो हमारे नाम से है, आप इसको खाली करो तो अपीलांट ने हल्का पटवारी खूड से सम्पर्क किया व समस्त रिकार्ड की नकलें दिनांक 28.04.2015 तक मिलने पर अविलम्ब यह अपील पेश किया जाना लाजमी हुआं है। अपील पेश करने में हुआ विलम्ब जानबूझकर नहीं बल्कि रिकार्ड की जानकारी नहीं रहने से कानूनी अनभिज्ञता की वजह से हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है। एंव इसके लिए अपीलांट द्वारा आवेदन दफा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम क तहत अलग से पेश कर अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अपीलांट मृतक खातेदार मन्ना उर्फ माना की विधिक वारिस व उतराधिकारी है अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय सभी जायंदा वारिसान को सूचना व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्व व एक पक्षीय होने निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 106 दिनांकित 14.02.1999 बतस्दीक ग्राम पंचायत खूड़ तहसील दांतारामगढ जिा सीकर को निरस्त किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण गलत तरीके सें बिना वारिशान की जांच किये तथा कब्जे की जांच किये तथा अपीलांट्स को नोटिस जारी किये बगैर तस्दीक किया गया है

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ
सीकर

Scanned by CamScanner

जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत खूड़ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 166 दिनांकित 14.02.1999 को निरस्त फरमाया जावें।

3. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन सें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पचार द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिक वारिशान, कब्जे आदि की जांच किये तस्दीक किया गया है जो निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट के हित निहित को देखते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामांतरण संख्या 166 दिनांक 14.02.1999 द्वारा ग्राम पंचायत खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।
पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner